मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक :एफ -9/4/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 07 जनवरी 2005

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय - कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पूर्व पी.पी.ओ.एवं अन्य स्वत्वों का लाभ प्रदान करने बावत् ।

संदर्भ - वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 9/4/2003/नियम/चार,दिनांक 29 जनवरी 2004 तथा समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 28.2.2004 .

-000-

पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबध में वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापों द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए हैं ।

2. शासन के ध्यान में आया है कि शासकीय कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें उनके स्वत्वों का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, जिसके कारण संबधित कर्मचारियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

3. अतः भविष्य में सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारियों के प्रकरण समयावधि में निराकृत कर पेंशन एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान बिना किसी विलम्ब के अनिवार्य रूप से कर दिया जावे, ताकि सेवा निवृत्ति उपरान्त उन्हें अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना न करना पड़े, साथ ही भविष्य में प्रतिमाह इस संबध में समीक्षा बैठक भी द्वितीय मंगलवार को आयोजित की जावे ।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग